कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / छाप्रोप्र / निजी / 2018–19 दिनांक : 17/4/2018

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–प्रथम / द्वितीय)

विषय : प्रवेशोत्सव सत्र 2018–19 के प्रथम एवं द्वितीय चरण के दौरान विद्यार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर प्राप्त करने एवं विद्यार्थियों के बैंक खातों को आधार व भामाशाह से मेपिंग करवाना सुनिश्चित करने बाबत।

प्रसंग : वी.सी. दिनांक 13.04.2018 में दिए गए निर्देश।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें कि वे प्रवेशोत्सव सत्र 2018–19 के प्रथम एवं द्वितीय चरण के दौरान नव–प्रवेशित एवं गत वर्ष तक के समस्त विद्यार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर प्राप्त करने एवं विद्यार्थियों के बैंक खातों को आधार व भामाशाह से मेपिंग करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रवेशोत्सव के दौरान होने वाली एस.डी.एम.सी. बैठक, शिक्षक अभिभावक बैठक एवं जन–समुदाय से व्यक्तिगत सम्पर्क में भी संस्थाप्रधान व अध्यापकों द्वारा यह जानकारी अभिभावकों को दी जावे।

प्रवेशोत्सव	दिनांक से	दिनांक तक
प्रथम चरण	26.04.2018	09.05.2018
द्वितीय चरण	19.06.2018	30.06.2018

जैसा कि आपके संज्ञान में है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को उक्त योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए उनके आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर तथा बैंक खाते की जानकारी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी का बैंक खाता भामाशाह नंबर तथा आधार नंबर से जुड़ा / लिंक / मेपिंग होना अनिवार्य है।

गत सत्र 2017–18 में शाला दर्पण के माध्यम से विभाग द्वारा संचालित 10 छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे जिनमें अधिकतर विद्यार्थियों के आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर एवं विद्यार्थी का बैंक खाता भामाशाह नम्बर से मेपिंग नहीं होने के कारण छात्र–छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रहे। इन वंचित विद्यार्थियों की वांछित सूचनाएं प्रवेशोत्सव सत्र 2018–19 के प्रथम चरण में अनिवार्यतः प्राप्त करने बाबत संस्थाप्रधानों को निर्देशित कर देवें ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

निर्देशों की अवहेलना एवं कार्य के प्रति उदासीनता की स्थिति में संस्थाप्रधान के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव प्रपत्र अ, ब, स, द, आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र सहित प्रस्तुत करें। आपके क्षेत्राधीन विद्यालयों की प्रगति न्यून होने पर जिला शिक्षा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रभारी छात्रवृत्ति) के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जावेगी।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :

1. समस्त उप–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–6) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, माध्यमिक शिक्षा को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
4. समस्त संस्थाप्रधान शालादर्पण पर विद्यार्थियों के आधार एवं भामाशाह नंबर दैनिक अपलोड करें। निदेशक जी द्वारा साप्ताहिक प्रगति देखी जाएगी।

17.4.18

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner